an>

Title: Need to give arrears to sugar cane farmers in the country.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, आपने मुझे देश के किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्ष 2013-14 में भुगतान नहीं हुआ और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है जबकि गन्ना एक्ट में प्रावधान है कि दस दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो इस पर 10 प्रतिशत का ब्याज लगता है। उत्तर प्रदेश में नौ चीनी मिलें हैं जिन पर 6.5 करोड़ रुपए का बकाया है। गन्ना किसान बहुत उम्मीद से गन्ना लगाते हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ाई कराना चाहते हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं, बीमारी में इलाज कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और मिलों की संवेदनहीनता के कारण गन्ना किसान बदहाली की स्थिति में हैं। मिलों

का रवैया दिन-प्रति-दिन किसानों को परेशान करने का होता जा रहा है। किसानों के गन्ने को लिया नहीं जाता है, रफ वैराइटी बताकर वापस कर दिया जाता है। गन्ना मिलों द्वारा शोषण और प्रताड़ित करना एक कार्य सा बन गया है। संसदीय क्षेत्र पोवायां में सहकारी चीनी मिल है, यहां कई वर्ष पहले कर्मचारियों को वी.आर.एस. दी गई थी। आज भी उनके बच्चे बेघर हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनका भुगतान नहीं किया गया। आज भी जब किसी तरह से मिल को चलाया गया है तो कर्मचारी चाहते हैं कि उनको रखा जाए, क्योंकि उनको जबरदस्ती निकाला गया था।

मेरा आपसे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि बेघर कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए, किसानों को गन्ने का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था की जाए और अगर दस दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया है तो उन पर कार्रवाई की जाए।